राजस्थान सरकार
वित्त(कर)विभाग

क्रमांक प.7(16)वित्त/कर/2018 जयपुर, दिनांकः 31.03.18

आदेश

राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971(समय समय पर संशोधित) के अधीन उपायुक्त पद की वर्ष 2017–18 की पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 28.03.2018 में की गई अभिशंषा पर श्री हरिराम लोहार, सहायक आयुक्त को वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर, उपायुक्त के पद पर स्थानापन्न रुप से एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है।

वर्ष 2017–18 की चयन सूची में इनका नाम श्री रतनलाल गुर्जर के नीचे रहेगा।

श्री लोहार, पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पद पर अस्थाई रूप से यथा आवश्यक क्रमोन्नत मानते हुए, कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेगें एवं यथा आवश्यकता अपने वर्तमान पद का भी कार्यभार सम्पादित करेगें, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त कार्य भत्ता आदि देय नहीं होगा। इस पद के विधिक कार्य सम्पादन के संबंध में, आवश्यकतानुसार, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान उपयुक्त आदेश जारी करेगें।

यह पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय की डी.बी रिट पिटिशन संख्या 14176/2012 समता आन्दोलन समिति बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(प्रवीण गुप्ता)
शासन सचिव, वित्त(राजस्व)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त) महोदया।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग।
5. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. अति. निदेशक, कम्प्यूटर सैल, वित्त विभाग।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान, जयपुर
9. रक्षित पत्रावली

शासन सचिव, वित्त(राजस्व)